5/1/2 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर 79

A2/6

नोट अंकित किया गया है कि प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 20.04.12 द्वारा स्वीकृत किया गया लेकिन बाद में स्वीकृत शब्द काटा जाकर ओवरराईटिंग की जाकर ''पेश किया गया पर स्वीकृत सरपंच द्वारा नहीं किया'' अंकन किया है। प्रस्ताव सं0 3 में दर्ज किया गया है कि प्रस्तुत इन्तकालों में क्र0सं0 06 पर इन्द्राज नं0 153 पर इन्द्राज बैयनामा इन्तकाल मेरे द्वारा निरस्त किया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल निरस्त किये जाने के पश्चात उक्त की अपील सक्षम उपखण्डाधिकारी के समक्ष की जा सकती थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना दिनांक 22.05.12 को इन्तकाल 30 दिन का अधिक होने के कारण स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

विद्वान वकील रैस्पो. नं0 1 का कथन है कि बैयनामा के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो सही है परन्तु विनम्र मत यह है कि पंचायत कार्यवाही रजिस्टर के मुताबिक जब इन्तकाल सरपंच द्वारा अस्वीकृत किया गया है तो उक्त के विरूद्ध अपील एस.डी.ओ. न्यायालय में ही हो सकती थी। फिर भी पक्षकारान द्वारा दोहरे रूप में न्यायालयों में अनुतोष चाहा जा रहा है जो भी गलत है, जब घोषणात्मक वाद के संबंध में अपील आर.ए.ए. में विचाराधीन है तब इन्तकाल अपील करने का औचित्य नहीं रह जाता है। अपील तथ्यों में ही बैयनामा फर्जी होने का बिन्दु उठाया गया है परन्तु जब तक सक्षम न्यायालय से इसे निरस्त नहीं किया जाता है तब तक इसे फर्जी/अवैध माने जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

अन्त में अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार के तथ्य को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील नियमानुसार एस.डी.ओ. के यहीं दायर होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत के आदेश पर गौर किये बिना 30 दिन की अवधि से बाहर का मानकर आदेश जारी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर तथा विधि सम्मत रूप से जारी नहीं किया जाना जाहिर होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 153 दिनांक 22.05.2012 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाये। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.01.2013 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अति.जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

4/12 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

77

A2
4

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री उम्मेदसिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0—04/2012

दायर तिथि—07.06.2012

भगवन्तसिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी 14 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

———अपीलांट

1. बलविन्द्रसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एफ एफ त0 श्रीकरणपुर।
2. रणजीतसिंह पुत्र श्री लाभसिंह जाति जटसिख निवासी खेड़ी तहसील जगादरी जिला अम्बाला(हरियाणा) हाल आबाद म0नं0 1008 सैक्टर 8 सी चण्डीगढ(पंजाब)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार,श्रीकरणपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितः—

———रैस्पोडेंटस्

1. श्री पी.पी. मक्कड़, एडवोकेट———अपीलांट
2. श्री चरणदास एडवोकेट ——— रैस्पो0 नं0 01

निर्णय

दिनांक 17.01.2013

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के कब्जा काश्त में मु0नं0 14 के किला नं0 1 की 18 बिस्वा, 2 ता 11 सालम किला नं0 12 की 10 बिस्वा एवं मु0नं0 15 के किला नं0 6 में 5 बिस्वा व किला नं0 15 में 10 बिस्वा कुल 12 बीघा नहरी भूमि चली आ रही है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्रीकरणपुर के यहां घोषणात्मक वाद दिनांक 10.02.2005 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट पिछले 21 वर्षों से लगातार बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है और अपीलांट द्वारा ही लगान दिया जा रहा है जिसकी पानी की पर्ची अपीलांट के नाम से बंधी हुई है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र के साथ राजस्व लगान की पर्चियां तथा घटना बही को प्रस्तुत किया तथा स्वयं व पड़ौसी काश्तकारों के सशपथ बयान करवाये जिससे पूर्ण रूप से यह साबित था कि अपीलांट का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है व स्वतः ही खातेदार हो गया हैं अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 24.05.2006 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के यहां अपील दायर की जो विचाराधीन है। इसी दौरान बलविन्द्रसिंह रैस्पोडेंट सं0 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी उसके द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद की हुई है इसलिये उसे पक्षकार बनाया जाये। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा रैस्पोडेंट सं0 01 का प्रा0पत्र निर्णय दिनांक 29.03.2010 को खारिज कर दिया। अपीलांट को नुकसान पहुंचाने की गरज से रैस्पोडेंट सं0 01 शुरू से ही बदनीयती किये हुए था। इस बदनीयती के आधार पर उसने एक फर्जी मुख्तायारनामा रणजीतसिंह पुत्र लाभसिंह का रैस्पोडेंट सं0 2 के फर्जी हस्ताक्षरों व फर्जी पते से अपने ससुर के नाम से लेकर अपने नाम से बैयनामा दिनांक 21.03.2012 सब रजिस्ट्रार श्रीकरणपुर से करवा लिया और फर्जी बैयनामे के आधार पर अपीलकृत

अतिरिक्त कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

इन्तकाल की प्रविष्ठि सं0 16 में दिनांक 12.04.2012 को इन्तकाल हेतु अपनी रिपोर्ट पेश की परन्तु ग्राम पंचायत 14 एफएफ के समक्ष उक्त अपीलकृत इन्तकाल दिनांक 20.04.2012 को प्रस्तुत हुआ। ग्राम पंचायत को यह पूर्ण रूप से आभास हो गया कि रैस्पोडेंट सं0 1 द्वारा फर्जी रूप से बैयनामा करवाया है इसलिये उन्होनें यह इन्तकाल तस्दीक किया परन्तु तुरंत आभास होने पर इन्तकाल स्वीकृत किया जाना को काट दिया और पेश शब्द लिख दिया। इसके बाद रैस्पोडेंट सं0 1 ने मिलीभगत करके अपीलकृत इन्तकाल तहसीलदार श्रीकरणपुर से दिनांक 22.05.2012 को तस्दीक करवा जो पूर्णतः विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलकृत इंतकाल को देखने से स्पष्ट आभास होता है कि सरपंच द्वारा इन्तकाल तस्दीक न करना इस बात का द्योतक है कि रैस्पोडेंट सं0 01 द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा समस्त तथ्यों को उल्लेखित करते हुए दिनांक 15.05.2012 को जिला कलक्टर, उप जिला कलक्टर तहसीलदार को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था उसके बावजूद अपीलांट को बिना सुने इन्तकाल पारित किया गया है जो भूराजस्व अधिनियम की धारा 135 से 140 में इन्तकाल संबंधी जो प्रक्रिया उल्लेखित की गई है उसकी कतई पालना नही की गई। अपीलांट अपीलकृत आदेश से पूर्णतः प्रभावित है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अपीलकृत आदेश अपास्त किया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पोडेंट नं0 1 की ओर से श्री चरणदास एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। रैस्पोडेंट नं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उप0 नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 28.09.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगाया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलांट के सुयोग्य अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अपीलकृत भूमि के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल सं0 153 दिनांक12.04.2012 ग्राम पंचायत 14 एफ एफ के समक्ष पेश किया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया जाना काटकर पेश किया जाना लिखा। प्रस्ताव सं0 03 के अनुसार इन्द्राज सं0 153 पर दर्ज इन्तकाल निरस्त किया गया। इसके पश्चात रैस्पो0 नं0 01 ने तहसीलदार श्रीकरणपुर से इन्तकाल 22.05.2012 को तस्दीक करवाया जो विधि विरूद्ध है भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 से 140 में इन्तकाल संबंधी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा 30 दिन तक इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जाता है तभी इन्तकाल तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया जा सकता था जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध अपील उपखण्डाधिकारी को की जा सकती थी लेकिन रैस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार से इन्तकाल तस्दीक करवाया गया जो विधि विरूद्ध है जिसे अपास्त किया जाये।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट के बहस व अपील मीमो के तथ्य भिन्न हैं, अपीलांट द्वारा फर्जी बैयनामा के आधार पर इन्तकाल तस्दीक होना वर्णित किया है अतः जब तक बयनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक अपीलांट को अपील करने का अधिकार नहीं है। अपील हाजा निरस्त फरमाई जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जहां तक वकील रैस्पो. का यह कथन है कि बहस व अपील के तथ्य भिन्न हैं सही नहीं है चूँकि अपीलांट द्वारा अपील के बिन्दु0 3 में बहस के तथ्यों को अंकित किया है व इस आधार पर इन्तकाल विधि विरूद्ध बताया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलकृत आराजी से संबंधित इन्तकाल सं0 153 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.04.2012 को भरा जाकर पेश किया गया है जिसे भू0अ0निरीक्षक द्वारा दि0 14.04.2012 को मिलान किया गया है व ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत 14 एफएफ द्वारा नामांतकरण पर

जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर